मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी – मार्च, 1992 सत्र

दैनिक कार्य – सूची

बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 1992 (माघ 23, 1913)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का सातवां एवं आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुधाकर बापट, परिवहन राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) तथा धारा 25 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचनाएं क्रमांक एफ-8-8-92-आठ, दिनांक 10 जनवरी, 1992, क्रमांक एफ-8-7-92-आठ, दिनांक 10 जनवरी, 1992 तथा क्रमांक एफ-8-2-92-आठ, दिनांक 8 जनवरी, 1992 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री आरिफ अकील, डा. गोविन्द सिंह, श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, भोपाल में दैनिक लाटरी के चलन से उत्पन्न स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री राजेन्द्र पामभोई, नन्द कुमार पटेल, मंगलराम उसेंडी, सदस्य, बस्तर जिले के बीजापुर विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में उल्टी-दस्त की बीमारी से हुई मौतों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विक्रम वर्मा, उच्चशिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 3 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 4 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

5. वर्ष 1991-92 के द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

3 बजे तक

" दिनांक 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,3,4,6,7,8,10,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,32,33,40 41, 44,47,56,59,61,64,66,67,68,69 तथा 71 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो सौ पन्द्रह करोड़, अस्सी लाख, चार हजार छः सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय. "

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 (क्रमांक 1 सन् 1992) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपालः
दिनांकः 11 फरवरी, 1992

---

* अनुपूरक मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्